



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
Central Board of Secondary Education

संघटना - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0

As per new Affiliation Bye-Laws



CONTACT US

Grant Letter for:-EX-01363-1819

NO : CBSE/AFF/1730428 /EX-01363-1819/2018-19/

Dated: 05/10/2020

The Manager,
Sai Baba Public School
Sai Vihar Colony, Chandmari Road, Aburoad Bypass,
RAJASTHAN, SIROHI, 307026
(M: 02974225500)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding
Ref: Application No. EX-01363-1819

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No : 1730428
Affiliated for : Secondary
Category : Extension of General Affiliation
Period of Extension of : 01.04.2018 to 31.03.2023

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
- The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
- The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
- The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
- Admission to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
- The school is required to follow rule No. 2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
- Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
- The Manager and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/information/data submitted by the School to the Board.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
- The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
- The school is required to remit pending fee, if any
- The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE.

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

22. The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
23. The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

Mansar
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chaudhary P
ABU ROAD-307026(Raj)

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 21/सिरोही/2005-06

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिरडी साईं बाबा

शिक्षण संस्थान, बाबुरौड जिला सिरोही का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक पंद्रह माह जून सन् दो हजार पांच
को सिरोही में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं सिरोही
रजिस्ट्रार संस्थाएं

Mansar
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा./माध्यमिक/अ-4/केमाशिबो/09-10

दिनांक 29.6.2009

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र

प्रित विहार, दिल्ली-1100092

विषय :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प0 14(8) शिक्षा-1/2009 जयपुर दिनांक 29.6.2009 की पालना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं निभाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | सम्बद्धता | सत्र | माध्यम |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1. | एस.वी.पी.शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, पलसाना (सीकर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 2. | श्रीमती मैनादेवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कंसरीसिंहपुर (श्रीगंगानगर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 3. | राज पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, नकराना (नागौर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 4. | वर्ल्ड सनराइज सनराइज पब्लिक स्कूल, राजखेड़ा रोड, धौलपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 5. | सेंटपाल माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 6. | गुरु सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल, विजय नगर रोड, सैन्ट्रल जेल के पीछे, ब्यावर (अजमेर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 7. | सर्वोदय किड्स कान्वेंट स्कूल, बांसवाड रोड, प्रतापगढ़ | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 8. | दी एशिया पेसिफिक कॉन्वेंट स्कूल, नीमच रोड, प्रतापगढ़ | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 9. | मॉडर्न इंग्लिश उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगंज (सिरोही) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 10. | एम.एस.कवाड इंटरनेशनल स्कूल, नयागाँव, सोजत रोड (पाली) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 11. | देहली पब्लिक स्कूल, श्रीराम वाटिका, जयपुर रोड, अलवर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 12. | न्यू ईरा सेंट्रल स्कूल, तहसील के सामने, अनुपगढ़ (श्रीगंगानगर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 13. | कैम्पिज सी.से. स्कूल, सरदारपुरा 7वीं "बी" रोड, चिल्ड्रन पार्क, जोधपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 14. | अवरलेडी ऑफ पिलर कॉन्वेंट स्कूल, गंगाना रोड, पॉल विलेज, जोधपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |

Mansoor
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
 Sai Vihar Colony, Chandmari Road
 ABU ROAD-307026(Raj.)

UP
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
 Sai Vihar Colony, Chandmari Road
 ABU ROAD-307026(Raj.)

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| 15. | सी.एल.आर. पब्लिक स्कूल, लुहारु रोड, पिलानी (झुझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 16. | लालबहादुर शास्त्री सी.सै. स्कूल, कोटा | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 17. | नरेन्द्र एकेडमी, किशोरपुरा रोड, सुल्ताना (झुझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 18. | श्री वर्धमान कॉन्वेंट स्कूल, मनियां (धौलपुर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 19. | कृपाल इंग्लिश एकेडमी, पाथरेडी, त0 कोटपुतली (जयपुर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 20. | बी.एस.एन एकेडमी, लक्ष्मण विहार, नान्ता-कुन्हाड़ी, कोटा | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 21. | पिक सिटी इंटरनेशनल एकेडमी, जयपुर रोड, हिंगोनिया, (जयपुर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 22. | विश्वदीप गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी महेश्वरानन्द आश्रम, जाडन (पाली) | CBSE | 2009-10 | हिन्दी |
| 23. | महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल, श्रीकिशनपुरा, ए-ब्लॉक, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 24. | सेन्ट थॉमस स्कूल, सेक्टर-2, महात्मागांधी नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 25. | रुकमणी देवी इंटरनेशनल स्कूल, सिंधी कैम्प, सरावली त0 मण्डावर (दोसा) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 26. | ए.एस.एम. पब्लिक स्कूल, सी.सी. हैड, पदमपुर (श्रीगंगानगर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 27. | अरावली पब्लिक स्कूल, बड़ियालखुर्द, बाँदीकुई (दोसा) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 28. | चन्द्रावती गुरुकुल, सेवर (भरतपुर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 29. | डालमिया विद्यामंदिर, स्टेशन रोड, चिड़ावा (झुझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 30. | श्री जिनेश्वर दास दिगम्बर जैन माध्यमिक विद्यालय, पलटन गेट, कुचामन सिटी (नागौर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 31. | महारानी किशोरी देवी गर्ल्स स्कूल, जयपुर रोड, एन.एच. 11, बीकानेर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 32. | हिन्दुस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, चिड़ावा (झुझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 33. | जानकीदेवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-19, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 34. | महापि दयानन्द पब्लिक स्कूल, भम्भोरी, कालवाड रोड, जयपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 35. | कैम्ब्रिज किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल, सिमनी, बुहाना (झुझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 36. | शंखावाटी इंटरनेशनल एकेडमी, सीकर रोड, लोसल (सीकर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 37. | साईबाबा पब्लिक स्कूल, साई विहार कॉलोनी, चाँदमारी, बाईपास, आबूरोड (सिरोही) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 38. | शिक्षा हाई स्कूल, कमल फार्म रोड, शिववाड़ी, बीकानेर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 39. | सेन्ट पॉल स्कूल, डीडवाना रोड, कुचामन सिटी (नागौर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 40. | ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल, किनसरिया (बिदियाद) तह0 परयतसर (नागौर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 41. | न्यू पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, विज्ञान नगर, कोटा | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 42. | सेन्ट जोसफ उम्रावि इंटरनेशनल स्कूल, झालावाड़ | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 43. | विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल, श्रीमहावीरजी (करौली) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |

C:\Documents and Settings\NEWUSER\My Documents\CBSE 3.doc

15/2

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
 Sai Vihar Colony, Chandmari Road
 ABU ROAD-307026(Raj.)

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| 44. | जी0आर0 पब्लिक उमावि, गणपति नगर, मण्डावा रोड, झुंझुनू | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 45. | हिलग्रोव कर्नल एकेडमी, कोलीवाड़ा, पं0स0 सुमेरपुर (पाली) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 46. | आदर्श-विद्यामंदिर, मण्डावा (झुंझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 47. | एन0के0 पब्लिक स्कूल, राजावास, सीकर रोड, जयपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 48. | एस0आर0 इन्टरनेशनल एकेडमी, रघु विहार, खंडली रोड, नदबई (भरतपुर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 49. | ब्राइटलेण्डस कॉन्वेन्ट स्कूल, 3-डी-5, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 50. | न्यू आदर्श एकेडमी, झोटवाड़ा, जयपुर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 51. | लीलादेवी पारसभल संघेती इंग्लिश मिडियम स्कूल, विद्यावाड़ी-खीमेल पं0स0 रानी (पाली) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 52. | प्रिस उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालवांस रोड, सीकर | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 53. | महावीर पब्लिक स्कूल, ऋषभदेव (उदयपुर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 54. | राजस्थान पब्लिक स्कूल, जखराना (अलवर) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 55. | इण्डियन कॉन्वेन्ट स्कूल, मात्रा रोड, केशवरायपाटन (बूंदी) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |
| 56. | इंदिरा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता, त0 चिडावा (झुंझुनू) | CBSE | 2009-10 | अंग्रेजी |

(डॉ० लतीफ कुमार)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. सम्बन्धित विद्यालय/सचिव

(सुनील कुमार)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Pransar
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) पिरोही शहरमान

संख्या: 03

दिनांक: 10.2.2013

प्रमाणक

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-10 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

माहिदय/महोदया,

आपके दिनांक..... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पर्याप्त पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिवेश से मैं 21.1.2013 को 29.1.2013 को संवत् 2012-13 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 (हिन्दी माध्यम) तक 31 मार्च, 2013 तक के दिने अंतिम मान्यता प्रदान करने की संरचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पर्याप्त मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आरं-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करावेगा।
4. धारा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिष्ठित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

Mamwar
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj)

6. अध्यापकों को भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियनों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सिरोही को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 4027 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोही द्वारा अपेक्षित और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को ठीक करने के लिए जारी किए जाएँ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. संलग्न उपाय-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)
सिरोही

Shamwar
PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIV.ABUROAD

Email eearoad.pwd@rajasthan.gov.in Phone No. 02974-222165

No.EE/Aburoad/2022-23 / 39

Date 06/04/2022

The Principal,
SAI BABA PUBLIC SCHOOL,
Aburoad.

Subject:- Regarding Safety Certificate of Sai Baba Public School, Aburoad.

Ref :- Your letter No.SBPS/2021-2022/184 dated 23.03.2022

Sir,

It is to inform that above building has been inspected by Assistant Engineer PWD Sub Div Aburoad on dated 06.04.2022 on the basis of formal recommended by you & affidavit furnished by owner, it is to certify that this Building is safe for School Activities.

This Certificate is valid for a period 1 (one) Year i.e. only upto 31.03.2023 (date) subject to regular upkeep and satisfactory Annual maintenance by School owner.

Note:- This Certificate will stand void automatically. if the building is used for any other purpose other than the School activities at any time during the year.

Your' s Faithfully

(Sanjeev Kumar Sacheti)


Executive Engineer
PWD Div Aburoad

No.EE/Aburoad/2022-23

Date सा.नि.वि.खण्ड, आबूरोड

Copy to the Assistant Engineer, PWD Sub Division Aburoad.

Executive Engineer
PWD Div Aburoad



कार्यालय नगर परिषद पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टाऊन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-मारवाड़, राज0, पिनकोड-306401)

(टेली-फेक्स:-02932-221301,ई-मेल:-cmcpali@yahoo.co.in,वेब-साईट www.mcpali.com)

क्रमांक प.18 () अग्नि/2022/ 2121

दिनांक 27.4.2022

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

प्रेषित :- साई बाबा पब्लिक स्कूल साई विहार कॉलोनी चांदमारी रोड आबुरोड जिला सिरौही

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग :- आपके पत्र के क्रम मे ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साई बाबा पब्लिक स्कूल साई विहार कॉलोनी चांदमारी रोड आबुरोड जिला सिरौही (राज.) के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा हेतु स्कूल मे लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एव चालु हालत मे पाये गये आवश्यकता पडने पर इन अग्निशमन यंत्रो को उपयोग मे लिया जा सकता है। उक्त बिल्डींग को अग्नि सुरक्षा व्यावस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबन्द करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नविनिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।
3. स्कूल के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा ।
4. स्कूल मे लगे अग्निशमन यंत्रो को हमेषा चालु हालत मे रखना होगा ।
5. अग्निशमन यंत्रो को समयावधि मे रिफिलिंग करवाने होंगे ।
6. स्कूल मे फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24X7 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखना होगा ।
7. स्कूल मे का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्य स्थिति (चालु हालत) नही पाये जाने की स्थिति मे यह अभिषंश पत्र निरस्त माना जायेगा ।
8. यदि राज्य सरकार/परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा ।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि मे मान्य होगा ।
10. स्कूल मे पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा ।
11. स्कूल मे साईन (सिग्नल) बोर्ड लगाने होंगे ।
12. स्कूल में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा ।
13. स्कूल मे वाहनो को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी ।
14. स्कूल के व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति मे बिजली (जेनेटर) की व्यवस्था रखनी होगी ।
15. स्कूल मे आपात सेवाओ के दुरभाष नम्बर व घुम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा ।
16. स्कूल के व्यवस्थापक को बिल्डींग के मानचित्र अनुसार के अलवा और निर्माण कार्य करने से पुर्व राज्य सरकारी/परिषद द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमती लेनी होगी ।
17. प्रस्तावित साई बाबा पब्लिक स्कूल साई विहार कॉलोनी चांदमारी रोड आबुरोड जिला सिरौही (राज.) को बिन्दु सं. 1 से 17 तक की पालना करनी होगी ।

सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद पाली

PRINCIPAL
SAI BABA PUBLIC SCHOOL
Sai Vihar Colony, Chandmari Road
ABU ROAD-307026(Raj.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL BOARD, ABUROAD (RAJ)

SR. NO. ABR/MUN/ 2979

DATED : 29/03/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to Certify that *SAI BABA PUBLIC SCHOOL, SAI VIHAR COLONY, CHANDMARI ROAD, ABUROAD BYE PASS ABUROAD DIST - SIROHI RAJASTHAN* has good health and Sanitary Conditions, proper Drinking water facility.

Date : 25/02/2022

Place :



[Signature]
Executive Officer
Municipal Board,
Abu Road

